E-mail : rajassembly@raj.nic.in फैक्स:0141–2744333–2744334
website:rajassembly.nic.in दूरभाष नं.0141–2744301–320

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

संख्या- एफ.3(10)संस्था/विस/2018 जयपुर, दिनांक 19 जून, 2018

सीमित बिड सूचना

राजस्थान विधान सभा सचिवालय में स्थापित जिम्नेजियम के लिए अनुबंध के आधार पर प्रशिक्षक की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदित मानव संसाधन प्रदायक एजेन्सियों/पंजीकृत फर्मों/ समितियों/ ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र में बोलियॉ आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	संख्या	अनुमानित राशि (रू.)
1.	जिम्नेजियम प्रशिक्षक	01	1.50/- लाख

बोलियॉ दिनांक 28.06.2018 अपराह्न 03.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन अपराह्न 04.00 बजे खोली जायेंगी। किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

-sd/-
(**गिरिराज बॉगड़**)
उप सचिव (प्रशासन)

संख्या- एफ.3(10)संस्था/विस/2018/5676-78 जयपुर, दिनांक 19 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर को सीमित बोली सूचना एवं बिड प्रपत्र सचिवालय की बेवसाइट एवं स्टेट पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in पर प्रकाशनार्थ।
4. संरक्षित पत्रावली

संलग्न- बिड प्रपत्र

-sd/-
(**प्रवीण कुमार जैन**)
सहायक सचिव (संस्थापन)

Lkc/contract

बोली प्रपत्र

राजस्थान विधान सभा सचिवालय में स्थापित जिम्नेजियम के लिए अनुबंध के आधार पर प्रशिक्षक की सेवा उपलब्ध कराने हेतु।

1. बिड प्रस्तुत करने वाली एजेन्सी/फर्म/समिति/संस्था का नाम व पता .....
   .....
   .....
2. दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर .....
3. फैक्स नम्बर .....
4. बिड जिसको प्रस्तुत करनी है :- उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. संदर्भ बिड सूचना :- क्रमांकः एफ.3(10)संस्था/विस/2018
   जयपुर, दिनांकः मई, 2018
6. इस बिड के संबंध में बिड प्रपत्र एवं समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली गई हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप शर्त एवं बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैं/हम उन समस्त शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।
7. मैं/हम ऐसे करों को संदत्त करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, अपनी बाध्यता की पूर्ति करुँगा/करेंगे।
8. मैं/हम दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हुआ हूँ/हुए हैं या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/रहे हैं, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखूँगा/रखेंगे, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखूँगा/रखेंगे और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होंगे ।
9. मैं/हम अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किए जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांडिक अपराध के सम्बन्ध में न तो स्वयं, और न हमारे निदेशक और अधिकारी दोषसिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं।
10. मैं/हम ऐसे हित, जो पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किए गया है, के प्रति कोई विरोध नहीं रखूंगा/रखेंगे, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रुप से प्रभावित करें।
11. हम बिड सूचना तथा बिड की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
12. हमने राजस्थान विधान सभा सचिवालय में स्थापित जिम्नेजियम के लिए अनुबंध के आधार पर जिम्नेजियम प्रशिक्षक की सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित दर परिशिष्ठ-क में अंकित कर दी है।
13. उद्घृत की गई दरें 90 दिवस के लिये विधिमान्य हैं। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
14. फर्म/संस्था/एजेन्सी/समिति की पंजीकरण/टिन संख्या .....
    (पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।

15. फर्म/संस्था/एजेन्सी/समिति की वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण संख्या ..... (पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।
16. आयकर स्थायी खाता संख्या ..... (पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न है)।
17. अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है। (न्यूनतम दो वर्ष)
18. मैं/हम बोली में दिये गए आपूर्ति/कार्य की संलग्न शर्तें पढ़ने के उपरान्त आदेश प्राप्ति के अनुसार आपूर्ति/कार्य करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
19. मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोली एवं संविदा की शर्तें

राजस्थान विधान सभा सचिवालय में स्थापित जिम्नेजियम के लिए अनुबंध के आधार पर प्रशिक्षक की सेवा उपलब्ध कराने हेतु

नोट :- 1 बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलियां भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

2 बिड प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व बोलीदाताओं को राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का आवश्यक रूप से सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए।

3 बिड की शर्तों एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में विरोधाभास पाये जाने पर अधिनियम व नियमों में दिये गए प्रावधान ही प्रभावी माने जायेंगे।

1. बोली निर्धारित प्रपत्र, जो कि सचिवालय द्वारा जारी किया गया है, में प्रस्तुत की जावेगी।
2. बोली यथोचित रूप से मुहरबंद लिफ़ाफे में बंद की जानी चाहिये।
3. बोली उन्हीं फर्मों के द्वारा दी जानी चाहिये, जो कि अनुबंध पर कार्मिक उपलब्ध करवाने का कार्य करती हैं। सक्षम और अनुभवी हों, तथा पूर्व में किसी विभाग से आदेश प्राप्त हुए हों, तो उनकी प्रति संलग्न की जानी चाहिए। वर्तमान में जिस विभाग को सेवायें उपलब्ध करवा रखी हैं, उस विभाग का नाम व उपलब्ध करवाये गये व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जानी चाहिये।
4. बोली की दरें शब्दों व अंकों में अंकित की जानी चाहिये। इसमें कोई त्रुटि (कांट छांट) व ऊपरी लेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो, तो काट कर पुन: स्पष्ट रूप से लिखकर की जावे व आद्यक्षर किये जावें। दर में सभी चार्जेज, कर आदि, यदि लागू हों, शामिल करते हुए अन्तिम राशि अंकित की जावे।
5. बोली प्रपत्र व शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर अंकित करें, जो कि यह दर्शित करता है कि बोली की शर्तों से सहमति है। प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं होने की दशा में प्रस्तुत बोली को अस्वीकृत भी किया जा सकता है।
6. फ़र्म द्वारा दरें संलग्न परिशिष्ठ 'क' में प्रस्तुत की जायेंगी। दरों में समस्त पी.एफ. कर व अन्य देय राशि सम्मिलित होगी। इस सचिवालय द्वारा पृथक से अन्य कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. बोलीदाता के द्वारा हस्ताक्षर कर बोली प्रस्तुत करने का आशय यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का विवरण, प्रकार व शर्तों के संबंध में उसे पूर्ण जानकारी है। यदि किसी भी प्रकार का संदेह हो, तो बोली पर हस्ताक्षर करने से पूर्व सचिवालय के जिम्नेजियम के प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है।
8. बोली देने वाली फ़र्म/संस्था द्वारा निम्न जानकारी बोली फार्म के साथ संलग्न की जावे:-
   (क) यदि संस्था एकल स्वामित्व की है, तो स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
   (ख) यदि संस्था साझेदारी फर्म है, तो साझेदारी डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी

साझेदारों के नाम व पूर्ण पते।

(ग) यदि संस्था कंपनी है, तो कंपनी का मेमोरण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तथा सभी निदेशकों के नाम व पूर्ण पते।

(घ) फ़र्म के गठन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरंत विभाग को दी जावे, किंतु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फ़र्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकता है।

(ड) अनुभव प्रमाण पत्र की स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति।

(च) वस्तु एवं सेवा कर के पंजीयन की स्वंय अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति।

(छ) आयकर के पेन नंबर की स्वंय अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति।

9. अनुबंध पर उपलब्ध करवाये जाने वाले जिम्नेजियम प्रशिक्षक को जिम्नेजियम प्रशिक्षक/फिटनेस ट्रेनर के रूप में न्यूनतम दो वर्ष के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।
10. जिम्नेजियम कार्य हेतु लगाये गये कार्मिक को जिम्नेजियम का ज्ञान आवश्यक है।

    01. उक्त कार्मिक स्वस्थ व उत्तम चरित्र वाला होना चाहिये। इस संबंध में राजकीय चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। सचिवालय द्वारा चाहने पर उत्तम चरित्र की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

    02. अनुबंध पर लगाये गये कार्मिक की योग्यता, उम्र आदि के बारे में आवश्यक प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जाने होंगे।

    03. विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करने पर सेवा कर्मी की आयु एवं योग्यता में सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के द्वारा शिथिलन दिया जा सकेगा।
11. अनुबंध पर सेवा प्रदायक फर्म स्वयं के कर्मचारी को देय वेतन भत्तों एवं कार्य के दौरान उत्पन्न जोखिम एवं हानियों की क्षतिपूर्तियों के लिये उत्तरदायी होगी। राजस्थान विधान सभा सचिवालय का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. अनुबंधित एजेंसी द्वारा नियुक्त कार्मिक को सचिवालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के निर्देशन में कार्य करना होगा तथा सचिवालय के नियमों व अनुशासन की पालना करनी होगी। अनुशासनहीनता व गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने पर एक सप्ताह के नोटिस पर एजेंसी का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। ऐसे नियुक्त कार्मिक द्वारा कार्य में विलंब, त्रुटियों व अन्य अनियमित कार्यों के कारण राजकीय संपति की कोई क्षति होती है, तो इसकी क्षतिपूर्ति एजेंसी को करनी होगी। इससे सचिवालय को हुई वित्तीय हानि की पूर्ति अनुबंधकर्ता एजेंसी के भुगतान से वसूल करने का सचिवालय को अधिकार होगा।
13. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं अन्य श्रमिक कानूनों की पालना का उत्तरदायित्व एजेंसी का होगा। यदि कर्मी के द्वारा सेवा संबंधी कोई प्रकरण न्यायालय में चलाया जाता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी। राजस्थान विधान सभा सचिवालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
14. अनुबंध पर जो कर्मचारी लिया जाएगा वो अनुबंधकर्ता एजेंसी का कर्मचारी माना जायेगा। उनका राजकीय पदों पर कोई अधिकार नहीं होगा। राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा अनुबंधित प्रशिक्षक के बिल का भुगतान अनुबंधकर्ता एजेंसी को किया जाएगा। अनुबंधकर्ता एजेंसी ही अनुबंध के कर्मचारी को वेतन भुगतान करेगी। राजस्थान विधान सभा सचिवालय उन्हें भुगतान

करने के लिये दायित्वाधीन नहीं होगा। राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा अनुबंध पर लिये गये कार्मिकों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा पुनर्भरण, यात्रा भुगतान, पेंशन ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

15. अनुबंध पर नियोजित कार्मिक के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी सेवा संबंधी विवाद में दायित्व अनुबंधकर्ता एजेंसी का होगा तथा ऐसे सभी व्यक्तियों को ठेकेदार द्वारा यह स्पष्ट रूप से लिखित में सूचित किया जायेगा कि वे संस्थान द्वारा नियोजित श्रमिक हैं। संस्थान द्वारा नियोजित व्यक्ति के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु संस्थान पूर्णत: जिम्मेदार होगा।
16. संस्थान के द्वारा राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं अन्य श्रमिक कानूनों का पूर्णत: पालन किया जायेगा। इस प्रकार नियुक्त कार्मिक के पी.एफ. और ई.एस.आई. आदि वैधानिक कटौतियों को काट कर जमा कराने का संपूर्ण दायित्व अनुबन्धकर्ता एजेन्सी/संस्था का होगा। सचिवालय का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा और न ही सचिवालय द्वारा अतिरिक्त भुगतान संस्थान को किया जावेगा।
17. संस्थान द्वारा नियुक्त कार्मिक की कार्य के दौरान किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप में वह दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि का दायित्व अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जावेगा। इसके लिये राजस्थान विधान सभा सचिवालय किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदार नहीं होगी।
18. अनुबंध पर एजेंसी द्वारा नियुक्त कार्मिक को राजकीय अवकाशों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश का लाभ देय नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर राजकीय अवकाश के दिन भी कार्य हेतु बुलाया जा सकता है। ऐसे नियुक्त कार्मिक के द्वारा अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति दिवसों का पारिश्रमिक देय नहीं होगा। यदि किसी कार्य स्थल पर कार्मिक के द्वारा लगातार तीन दिवसों तक कार्य नहीं किया जाता है अथवा उसका कार्य संतोषप्रद नहीं है, तो अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी अन्यथा एजेन्सी के बिल में से 100/- रूपये प्रति मानव दिवस की कटौती की जायेगी।
19. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिक द्वारा यदि सचिवालय में अभद्र व्यवहार किया जाता है अथवा सचिवालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो होने वाली क्षति की पूर्ति अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा की जायेगी, साथ ही कार्मिक के चरित्र की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी। यदि वह अवैध कार्यों में लिप्त पाया जाता है, तो उससे होने वाली क्षति की पूर्ति अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा की जावेगी।
20. अनुबंधित सेवाओं का भुगतान कार्य दिवसों की कुल मासिक संख्या के आधार पर किया जायेगा। भुगतान मासिक रूप से तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर जिम्नेजियम प्रभारी अधिकारी से उपस्थिति, कार्य संतोषप्रद होने तथा अनुबंध की शर्तें पूरी करने की सूचना प्राप्त होने पर सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के द्वारा किया जावेगा। किसी भी परस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। भुगतान कोषालय के माध्यम से ऑनलाईन किया जावेगा तथा निर्धारित दर से आयकर की कटौती की जावेगी।
21. फ़र्म द्वारा जो कार्मिक उपलबध करवाया जायेगा उन्हें राजस्थान विधान सभा सचिवालय के द्वारा निर्धारित समय पर कार्यालय में निर्देशित कार्य करने होंगे। सत्र काल एवं आवश्यकता

होने पर संबंधित अधिकारी के निर्देश पर अतिरिक्त समय पर कर्मचारी को रूकना होगा। जिसके लिये कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

22. बोली फार्म के साथ लगाये गये प्रमाणित दस्तावेजों की पुष्टि हेतु सचिवालय के मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।
23. यह आवश्यक नहीं कि न्यूनतम दर वाली बोली को स्वीकार किया जावे। दरों के अतिरिक्त अन्य शर्तों व बोलीदाता के अनुभव व गुडविल आदि को दृष्टिगत रख कर बोली स्वीकृत की जावेगी।
24. सचिवालय को किसी भी समय बोली के आधार पर ली जाने वाली सेवायें निरस्त करने का अधिकार होगा।
25. बोली स्वीकार होने की दशा में सचिवालय के साथ एजेंसी के होने वाले अनुबंध की पालना के लिये बोलीदाता एजेंसी के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की स्थिति में, उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे।
26. बोलीदाता बोली स्वीकृत होने पर कार्य के किसी भाग/हिस्से या संपूर्ण कार्य को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया गया, तो इसे अनुबंध भंग की कार्यवाही मानी जायेगी।
27. **विधि मान्यता :** बोलियां, उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होंगी।
28. अनुबंध की अवधि: अनुबंध एक वर्ष के लिये किया जायेगा, जो कि दोनों पक्षों की सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
29. जिम्नेजियम प्रशिक्षक की सेवायें यदि प्रभारी अधिकारी/सचिवालय की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं पायी जाती हैं, तो संवेदक को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सचिव, राजस्थान विधान सभा किसी भी समय बोली को निराकृत कर सकते हैं। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेंगे।
30. बोलीदाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार का अनर्हता होगी।
31. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।
32. उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेंगे।
33. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को सचिव, विधान सभा को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए सचिव का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार, सरकार या प्रदायक द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
34. (1) **<u>करार पत्र का निष्पादन एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप</u>:**

(1) सफल बोलीदाता को दर स्वीकृति की सूचना का पत्र जारी होने की दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के नाम देय डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा, जिन कार्यों के लिए बोली स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराकर रुपये 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने पर कार्यादेश दिया जाना संभव नहीं होगा।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर सचिवालय द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :-

(क) बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/ ई-ग्रास/ चालान की प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक, जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्टविलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(4) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया नहीं हैं, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2). (1) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्टर्ड फर्मों को, उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर सामग्री के मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप जमा करानी होगी।

(2) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:- कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा:-

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब संवेदक सम्पूर्ण कार्य सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा सचिवालय द्वारा बोलीदाता को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त नि:शुल्क दी जाएगी।

35. बोलीदाता के लिए यह समझा जाएगा कि कराये जाने वाले कार्य की सावधानीपूर्वक जानकारी कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, कार्य प्रकृति/क्षेत्र आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व राजस्थान विधान सभा सचिवालय से जानकारी प्राप्त करेगा।

36. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
37. यदि किसी कारण से निविदत्त कार्य नहीं कराया जाता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
38. बोली की समस्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-2 में दिए गए प्रावधान/ शर्तें एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश आदि संवेदक पर कभी भी बाध्यकारी हो सकते हैं।
39. **<u>सत्यनिष्ठा संहिता</u>** <u>(Code of integrity)</u> :- उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोई भी फर्म/संस्था/व्यक्ति,
    (1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करे,
    (2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो,
    (3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
    (4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा,
    (5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा,
    (6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
    (7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
    (8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;
40. **<u>हित का विरोध</u>** <u>(Conflict of interest) :-</u>
    (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
    (2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि
    (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं,
    (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
    (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उप संविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्व है और न ही संबद्व रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

41. **<u>बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग</u> -:**राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अध्याय **4** के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा **11** की उप-धारा **3** और धारा **46** के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

42. (1) उपापन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया से की जा सकेगी।

(2) प्रथम अपील अधिकारी वरिष्ठ उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर तथा द्वितीय अपील अधिकारी सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर हैं।

43. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में वर्णित सभी शर्तें व प्रावधान लागू होंगे।

(गिरिराज बॉगड़)
उप सचिव (प्रशासन)

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

<u>बोलीदाता द्वारा घोषणा</u>

मैं हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिन कार्य/ सेवाओं के लिए बिड दी है, उनके मैं/हम पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्था/इकाई हूं/हैं तथा कार्य /सेवा आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाइयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए, तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ठ - क

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

राजस्थान विधान सभा सचिवालय के जिम्नेजियम हेतु अनुबंध पर रखे जाने वाले प्रशिक्षक के लिए प्रस्तावित दर का विवरण पत्र:-

क्र.सं.	पदनाम	अनुमानित संख्या	दर प्रति माह/प्रति कार्मिक (लागू समस्त चार्जेज सहित रूपये)	प्रस्तुत दर अक्षरों में
01.	जिम्नेजियम प्रशिक्षक	01	.....	.....

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

(i) राजस्थान विधान सभा सचिवालय के जिम्नेजियम हेतु अनुबंध पर रखे जाने वाले प्रशिक्षक के लिए बोलीदाता/संवदेक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण पत्र:

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	सलंग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन वं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

(ii) जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी:-

क्रं. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचिलत न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF पद प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		1अकुशल 2अर्द्धकुशल 3कुशल 4उच्च कुशल								

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तिया सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तंभ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेंगी)

<u>राजस्थान विधान सभा सचिवालय</u>

(iii) संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी:-

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1अकुशल- 2अर्द्धकुशल- 3कुशल- 4उच्च कुशल-						

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1-4, 6 एवं 7 की पूर्तिया सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तंभ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेंगी)